न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 176 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/189)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 20.10.2021

1. श्री वरदा पिता किशना भील, निवासी झाड़सादड़ी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

मुस्लिम समुदाय झाड़सादडी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सदस्यः–

1. **श्री महमूद पिता जमालुद्दिन, मुसलमान, निवासी झाड़सादड़ी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।**
2. **श्री बाबु पिता रमजु खां, निवासी, झाड़सादड़ी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।**
3. **श्री अली शेर पिता रमजु खां, निवासी, झाड़सादड़ी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।**
2. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश नागदा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स 1 (1 से 3)
3. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 35 / 2018 निर्णय दिनांक 05.03.2018

निर्णय

दिनांक 20.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 35/2018 निर्णय दिनांक 05.03.2018 के विरूद्ध दिनांक 26.02.2020 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र बाबत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा झाड़सादड़ी के समस्त ग्रामवासीयों के नाम से एक प्रार्थना पत्र बाबत खाता दुरूस्ती अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.03.2018 को पेश कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 404 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म कब्रिस्तान की भूमि दर्ज है, जो मुस्लिम समाज झाड़सादड़ी की है। उक्त भूमि मुस्लिम समाज को 20 वर्ष पूर्व आवंटित हुई थी और नक्शे में भी तरमीम कर दी गयी थी। तरमीम मूल स्थान पर न होकर उसी आराजी में अन्य जगह दुसरे छोर पर तरमीम कर दी गई। उक्त आराजी संख्या वर्तमान में कब्रिस्तान के लिये उपयोग में नही आ रही है उसके पास में स्थित आराजी संख्या 406 में 0.42 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान हेतु रद्दोबदल कर दी जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 35/2018 दर्ज कर निर्णय दिनांक 05.03.2018 से झाड़सादड़ी के समस्त ग्रामवासीयों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.03.2018 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः–

"तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम समाज झाड़सादड़ी

राजस्व ग्राम झाड़सादड़ी, पटवार हल्का लसड़ावन की आराजी नम्बर 404 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म कब्रिस्तान को चारागाह एवं आराजी नम्बर 406 किस्म चारागाह में से संलग्न नक्शे अनुसार प्रस्तावित स्थान पर रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म कब्रिस्तान हेतु तरमीम किया जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 (1 से 3) की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ लोगो से मिलकर विधि विरूद्ध जाकर आनन–फानन में एक ही दिन में समस्त कार्यवाही कर तुरंत ही आदेश पारित कर दिया एवं उसकी तरमीम भी कर दी गई। जबकि मामला सार्वजनिक प्रकृति का था, तो प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति मांगी जानी चाहिए थी। कब्रिस्तान हेतु आवंटित भूमि का नक्शा ट्रेस आवंटन पत्रावली में लगा हुआ है उसी अनुसार उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में तरमीम की गयी थी एवं विगत 20–25 वर्षो से भी अधिक समय से कब्रिस्तान के रूप में काम आ रही है। आराजी संख्या 404 जो बिलानाम सरकार होकर कब्रिस्तान के नाम से अंकित है, उसी आराजी के पास आराजी संख्या 406 में कब्रिस्तान दर्ज कर दी जावे और कब्रिस्तान की भूमि को चारागाह दर्ज कर दी जावे के संबंध में कुछ व्यक्तियों के कहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय खाता दुरूस्ती में कोई तकनीकी भूल या कोई गलती हुई हो तो वह उसे ही दुरूस्त कर सकता है ना कि आराजी को एक स्थान से दुसरे स्थान पर

परिवर्तित कर सकता है। इस संबंध में मुस्लिम समाज को घोषण का वाद दायर किया जाना चाहिए था। उक्त प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्री–प्लान के तहत सुनियोजित तरीके से आनन–फानन में किया गया निर्णय है जिससे किसी को भी उक्त जानकारी नही हो। कब्रिस्तान हेतु आरक्षित आराजी संख्या 404 एवं वर्तमान में प्रस्तावित आराजी संख्या 406 दोनो लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है उसके पास हिन्दु श्मशान की भूमि आराजी संख्या 405 है तथा पूर्व में भी 404 व 405 को दूर–दूर इसलिए रखा कि श्मशान की भूमि को लेकर किसी तरह का कोई विवाद न हो लेकिन उक्त आदेश से सामाजिक संबंध बिगडने का भी पुरा अंदेशा है। उक्त भूमि के पास में उत्तरी सीमा के सहारे अर्थात आराजी संख्या 406 के पास अपीलांट की कृषि भूमि स्थित है जिस पर अपीलांट अपने गांव से उक्त रास्ते पर होते हुए भूमि पर जाता है एवं गांव के अन्य काश्तकार भी उसी रास्ते का उपयोग करते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रास्ते को भी कब्रिस्तान की भूमि में मिला दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से अपीलांट व्यथित पक्षकार होने से धारा 96 जाप्ता दिवानी के आवेदन के साथ अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 (अ से स) ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तरमीम की गयी है वह विधि विरूद्ध है तथा तरमीम करने से अपीलांट का रास्ता बंद होता है। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 (अ से स) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दरूस्ती करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पटवारी से रिपोर्ट मांगी गयी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किसी प्रकार का मौके पर रास्ता होना नही पाया गया, न इस रिपोर्ट पर अथवा निर्णय पर अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट किस प्रकार प्रभावित है यह भी स्पष्ट नही किया गया है। यदि अपीलांट का रास्ता बंद है तो 251 ए के तहत चाराजोही कर सकता है। यदि बिलानाम आराजी में से अपीलांट जा भी रहा है तो यह अपीलांट का अधिकार नही हो गया कि वह उस रास्ते को हमेशा

के लिये उपयोग करे, साथ ही यदि अपीलांट के पास रास्ते को कोई ठोस सबुत है तो वह अधीनस्थ न्यायालय में 251 ए/घोषणा का वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकता है। समरी प्रोसिडिंग से कोई दाद अपीलांट प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने बाबत निवेदन है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 05.03.2018 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था एवं उसे विवादित निर्णय की पूर्व सूचना होना प्रकट नहीं है अतएवं अपील अपीलाण्ट में दिये गये दफा 5 जा.दी. के आवेदन एवं अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में अब हम अपीलाण्ट के प्रस्तुत दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा दफा 96 जा. दी. के आवेदन में यह वर्णित किया है कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर दी गयी है एवं मुसलमान दीवार बनाकर रास्ता बंद करने पर उतारू है व दीवार बन जाने से अपीलाण्ट अपनी भूमि पर नहीं आ–जा सकेगा व न्याय से वंचित हो जाएगा तथा उसका पुराना रास्ता नष्ट हो जाएगा, अतएवं अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जावें। प्रकरण में हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि अपीलाण्ट की आराजी नं. 26, 27 एवं 28 विवादित आराजी नं. 404, 405 व 406 से लगती हुई है एवं विवादित आराजी नं. 406 जिसकी किस्म चारागाह है, वह खुली भूमि थी जहां वर्तमान में अपीलाधीन आदेश से कब्रिस्तान की तरमीम कर दी गयी है एवं अपीलाण्ट की भूमि से संनिकट उक्त भूमि होने से तथा भूमि पर रास्ता होने की संभावना से मना नहीं किये

जाने के कारण हम अपीलाण्ट को हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने की संभावना मानते हैं एवं तद्नुसार अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दिया जाना उचित समझते हैं एवं तद्नुसार अपीलाण्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाकर उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देते हैं। रेस्पोंडेण्ट द्वारा उक्त आवेदन के खण्डन में जैसाकि वर्णन किया गया है कि रास्ते के मद्देनजर अपीलाण्ट 251–ए की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर सकता है, हम इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि किसी एक विवाद के कारण अपीलाण्ट को अन्य विवाद कर अनुतोष प्राप्त करना पड़े, ऐसी वाद बहुलता या निर्णय विधिक परीक्षण मूल निर्णय में ही किया जाना उचित होगा।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी अपील के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट का सर्वप्रथम उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में एक ही दिन में निर्णय कर दिया तथा उसकी राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवा दी। जो जमीन कब्रिस्तान हेतु आवंटित है, उसी अनुसार भूमि तरमीम कर दी गयी थी और उसके अलग से नम्बर डाल दिये गये व नक्शा ट्रेस में भी उसको ठीक कर दिया गया जो विगत 20–25 वर्षों से श्मशान के रूप में काम में आ रही है। जो भूमि आवंटित हुई वह आराजी संख्या 404 बिलानाम होकर मुस्लिम समाज के नाम से अंकित है और कयासी आधारों पर उसे श्मशान नहीं होना माना गया है। अपीलाण्ट आगे यह कथन करता है कि पास में स्थित चारागाह भूमि में श्मशान है इसलिए श्मशान की भूमि आराजी नं0 406 में दर्ज कर दी जावें और श्मशान की भूमि चारागाह में दर्ज कर दी जावें। मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन को विधिविरूद्ध जाकर कुछ लोगों के कहने से तरमीम करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर दिया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को कोई तकनीकी, लिपिकीय अथवा अन्य त्रुटि होने पर उसके निवारण करने का अधिकार है परन्तु विधिक आवंटित भूमि को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर तरमीम करने का अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट की भूमि इससे लगी हुई भूमि है तथा विवादित भूमि में से होकर

उसका रास्ता विद्यमान है। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्रामवासियों के आवेदन के आधार पर पटवारी व तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर आराजी नं0 404 जो कि कब्रिस्तान के रूप में बिलानाम सरकार के खाते में दर्ज थी, उसे तरमीमशुदा स्थान से हटाकर चारागाह भूमि आराजी नं0 406 में अन्यत्र तरमीम कर दी है। विधिक का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरणों में त्रुटि का निवारण किया जा सकता है परन्तु विधिक रूप से आवंटित भूमि को एक स्थान से जो कि बिलानाम के रूप में श्मशान या कब्रिस्तान के रूप में आवंटित है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरमीम किये जाने के लिए मूल आवंटन में किये गये आवंटित स्थल से प्रथक तरमीम की गयी अथवा नहीं, इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई वाख्या नहीं है अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय ने यह विवेचन नहीं किया है कि कब्रिस्तान के लिए आराजी नं0 404 आवंटित थी, उसे त्रुटिपूर्ण रूप से तरमीम किया गया है एवं उसकी शुद्धि किया जाना आवश्यक है, यह स्पष्ट नहीं करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट में 0.42 हैक्टेयर किस्म कब्रिस्तान वास्तविक रूप में आराजी नं0 406 में कब्रिस्तान के रूप में काम में आने एवं वहां पर 2–3 कब्रे होने के आधार पर तरमीम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिलानाम से चारागाह में तरमीम कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के लिए लाजमी था कि वह कब्रिस्तान की भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरमीम कर रहे हैं तो मूल आवंटन स्थान बाबत् आवंटन आदेश में की गयी तरमीम से तुलना कर उक्त त्रुटि का धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तरमीम कर सकते थे। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि से संनिकट खातेदारों की उपस्थिति में उक्त भूमि बाबत् विनिश्चयन किया जाना चाहिये था ताकि प्रकरण में वास्तविक तथ्यों का आंकलन किया जा सकें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्रिस्तान के रूप में आवंटित एवं बिलानाम आराजी नं0 404 को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल आवंटन आदेश से तुलना किये बिना इन्द्राज दुरूस्ती कर दी है जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अपील अपीलाण्ट

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में मूल आवंटन पत्रावली से आराजी नं0 404 के रूप में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित/आवंटित भूमि की वास्तविक स्थिति की जांच करें एवं मोके की जांच उभय पक्षों की उपस्थिति में करवाकर उभय पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.12.2021 को उपस्थित हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर